**Regarding request for intervention regarding policy gaps and improper implementation of the Revamped Distribution Centre Scheme (RDSS)-Laid**

सुश्री इकरा चौधरी **(**कैराना**) :** मैं माननीय विद्यतु मंत्री जी का ध्यान संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) में नीतिगत खामी व अनुचित किर्यान्वयन के कारण देश भर, विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना के लोगों को होने वाली गंभीर कठिनाइयों की ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ । कई गांवों और कॉलोनियों में एलटी लाइन विस्तार नहीं किया जा रहा है और उपभोक्ताओं को बताया जा रहा है कि योजना के तहत ऐसे काम की अनमुति नहीं है । परिणामस्वरूप जो परिवार वैध बिजली कनेक्शन लेने के इच्छुक हैं उन्हें आपूर्ति नहीं मिल पाती है क्योंकि लाइन उनके घरों तक नहीं पहुंचती है । कई अनाधिकृत और कम आय वाली कॉलोनियों में, निवासियों से खंभे, तार और एलटी लाइन विस्तार के लिए लगभग रुपये २० प्रति मीटर की दर से भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है जो कि गरीब परिवारों की क्षमता से कहीं अधिक है । हालांकि नियम यह है कि जिम्मेदारी इन कॉलोनियों के मूल डेवलेपर्स पर डालते हैं किन्तु आज इन डेवलपर्स की पहचान नहीं की जा सकती है क्योंकि अधिकतर कॉलोनी अवैध है जिससे आम निवासी सरकार के इस नियम से वैध कनेक्शन के सरकारी खर्च पर हकदार नहीं रह पाते हैं और उन्हें अपने खर्चे पर कनेक्शन लेना बहुत महंगा पड़ता है । यह बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है इसके लिए सरकार को अपने नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि अवैध कॉलोनी के निवासियों को कम खर्च पर कनेक्शन मिल सके । इसके बिना वैध बिजली कनेक्शन चाहने वालों को बिजली चोरी की ओर धकेला जा रहा है । इसके अतिरिक्त आरडीएसएस के तहत सरकार द्वारा अनुमोदित श्रम और सामग्री दरें बाजार कीमतों से बहुत अधिक है, जिससे यह प्रक्रिया और भी अधिक अप्रभावी हो जाती है । मैं सरकार से इन दरों को तर्कसंगत बनाने, आरसीएसएस फंड के तहत एलटी लाइन का काम अनुमन्य करने और अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए एक विशेष राहत नीति लाने का आग्रह करती हूं ताकि वास्तविक उपभोक्ता बिना किसी अनावश्यक बोझ के वैध बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकें ।